संख्या-05 /2018/621/46-3-18-1000(42)/2016

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-23 (राजस्व) के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त के अधिष्ठान के मानक मद "14-मोटर गाडियों के क्रय" हेतु प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-168/वाहन-स्टोर, दिनांक 13-03-2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी की बुलेरो एस एल ई पावर प्लस 2 डब्लू डी (डीजल चालित) वाहन क्रय किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-23(राजस्व) के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान व्यय से संबंधित मानक मद "14-मोटर गाडियों के क्रय" हेतु प्राविधानित धनराशि रू.8.00 लाख के सापेक्ष रू.5,95,500.00(रूपये पॉच लाख पिन्चानबे हजार पॉच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकत धनराशि का व्यय वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रवृत्त नियमों एवं सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

7- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-23(राजस्व)के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-''2401-फसल क़षि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद "14-मोटर गाडियों के क्रय" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-259 /दस-2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-05/2018/621(1)/46-3-18-1000(42)/2016- तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।